।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रेणू मीना, आर०ए०एस०

राजस्व वाद नं०	तारीख रज्जू	तारीख निर्णय
2/11	10.02.2022	05.04.2022

01– जोनिश पुत्र श्री हारून, पौत्र दलशेर एवं नसरी उम्र करीब 4 साल नाबालिग, जरिये सरपरस्त अपसाना पत्नि हारून, माता स्वयं जाति मेव निवासी ग्राम तूलेडा तहसील व जिला अलवर

–प्रार्थी

बनाम

01– दलशेर पुत्र स्व० श्री दान सिंह, उम्र करीब 65 साल,

02– मु० नसरी पत्नि श्री दलशेर पुत्रवधु स्व० दानसिंह, उम्र करीब 60 साल, जातियान मेव निवासीयान ग्राम तूलेडा तहसील व जिला अलवर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नं० 2266 रकबा 01 ऐयर चाही1, 2267 रकबा 41 ऐयर चाही1, 2268/3279 रकबा 05 ऐयर चाही1, 2284 रकबा 31 ऐयर चाही सोयम, 2285 रकबा 27 ऐयर चाही सोयम, 2286/3280 रकबा 16 ऐयर चाही सोयम, 2287/3281 रकबा 17 ऐयर चाही सोयम कुल किता 7 रकबा 1.38 है० मुन्दर्जे खाता संख्या नया 529 आराजी हाल खसरा नम्बर 1883 रकबा 16 ऐयर चाही सोयम, 1886 रकबा 37 ऐयर चाही सोयम, 1896 रकबा 07 ऐयर चाही सोयम कुल किता 3 रकबा 0.60 है० मुन्दर्जे खाता संख्या नया 263 तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 1864 रकबा 43 ऐयर चाही सोयम, 1865 रकबा 20 ऐयर चाही सोयम, 1866 रकबा 16 ऐयर चाही सोयम किता 3 रकबा 0.79 है० मुन्दर्जे खाता संख्या नया 264 वाके ग्राम तुलेडा तहसील व जिला में स्थित है जो विवादित आराजी है।

सहायक कलक्टर
अलवर

आराजी खसरा नम्बर 2266, 2267, 2268,/3279, 2284, 2285, 2286/3280 व 2287/3281, किता 7 कुल रकबा 1.38 है० में असल प्रतिवादी संख्या 1 का 9/50 हिस्सा तथा शेष आराजी खसरा नम्बर 1883, 1886, 1896 किता 3 रकबा 60 ऐयर सालिम व खसरा नम्बर 1864, 1865, 1866 किता 3 रकबा 79 ऐयर में 1/2 हिस्सा असल अप्रार्थी संख्या–2 के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से की आराजीयात में तकमीली प्रतिवादीगण मुताबिक जमाबन्दी हाल हिस्सा दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है। विवादित आराजी प्रार्थी की दादालाई की आराजी है। जिसमें असल प्रतिवादी संख्या–2 के नाम दर्ज आराजी को अप्रार्थी संख्या–1 ने विरासत में प्राप्त दीगर आराजीयात विक्रय करके अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या–2 के नाम खरीदा है। इसलिए समस्त आराजीयात मुतनाजा में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हिस्सा वादी की पुश्तैनी दादालाई की आराजी है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हित व हिस्सा निहित चला आ रहा है तथा मुताबिक सजरा विवादित आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हिस्से में से प्रार्थी के पिता तरतीबी प्रतिवादी संख्या–3 हारून का 1/5 हिस्सा होता है तथा इस 1/5 हिस्सा में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है तथा इसी अनुसार प्रार्थी स्वयं को विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित कराने का कानूनी अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या–1 के नाम दर्ज आराजी पूर्व में प्रार्थी के पडदादा श्री दानसिंह की खातेदारी की थी जिसके पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 के अलावा तकमीली अप्रार्थी संख्या 8 लगा० 11 है। जिन सभी को अपने दादा दानसिंह की विरासत से विवादित आराजी प्राप्त हुई है तथा प्रार्थी को हिस्सा न देने की मंशा से अप्रार्थी संख्या–1 ने विरासत से प्राप्त कुछ आराजी को बेचकर अपनी पत्नी अप्रार्थी संख्या–2 के नाम दर्ज आराजी को खरीदा है। अप्रार्थीगण अब विवादित आराजी को दीगर लोगों को मुन्तकिल व मकफूल करनरे पर उतारू हो रहे है तथा आराजी मुतनाजा की सौदे की बातचीत करते रहते है और लोगों को आराजी मुतनाजा को दिखाने के लिए मौके पर लाते है जिसका उन्हे कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी नाबालिग है वो अपनी माता अपसाना पत्नी हारून की सरपरस्ती में रह रहा है तथा प्रार्थी के माता पिता विवादित आराजी में हर प्रकार का कार्य काश्तकारी करते है। अप्रार्थी गण विवादित आराजी में प्रार्थी को उसके हिस्से से महरूम करने पर उतारू है। दिनांक 25.12.2021 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की सरपरस्त माता को

सहायक कलक्टर
अलवर

विवादित आराजी में कार्य काश्तकारी करने से बेजा व्यवधान पैदा किया व धमकी दी हम विवादित आराजी में अपना हिस्सा बेचेंगे प्रार्थी को कोई हिस्सा नही लेने देंगे तथा प्रार्थी को उसके हिस्से से महरूम करेंगे। विवादित आराजी का अभी तक कोई विधिक रूप से तकासमा नही हुआ है। आराजी सहकाश्तकारों के साथ मौके पर काश्त की सहुलियत से बटी हुई है तथा आराजी मुतनाजा शामिल खाते में दर्ज रिकार्ड है। सामलात में काबिज रहकर कार्य काश्तकारी करना संभव नही रहा है। इस कारण प्रार्थी अपने हिस्से का अलग खाता व लगान कायम कराने का अधिकारी है। दावे के निस्तारण में काफी समय लगेगा इस दौरान अप्रार्थीगण अपने बेजा मकसद में सफल हो गये तो प्रार्थी का अजहद नापूर्ति होने वाली क्षति होगी प्रार्थी का पूरा भविष्य खराब हो जावेगा। इस कारण प्रार्थी अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण विवादित आराजी में प्रार्थी को उसके हिस्से से किसी तरह से वंचित नही करने, आराजी को किसी अन्य को रहन बैय हिबा आदि के मुन्तकित व मकफूल नही करने तथा रिकार्ड व मौके की यथा स्थित बनाये रखने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुल व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगण को विवादित आराजी हाल खसरा नं० 2266 रकबा 01 ऐयर चाही1, 2267 रकबा 41 ऐयर चाही1, 2268/3279 रकबा 05 ऐयर चाही1, 2284 रकबा 31 ऐयर चाही सोयम, 2285 रकबा 27 ऐयर चाही सोयम, 2286/3280 रकबा 16 ऐयर चाही सोयम, 2287/3281 रकबा 17 ऐयर चाही सोयम कुल किता 7 रकबा 1.38 है० मुन्दर्जे खाता संख्या नया 529 में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज 9/50 हिस्सा तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 1883 रकबा 16 ऐयर चाही सोयम, 1886 रकबा 37 ऐयर चाही सोयम, 1896 रकबा 07 ऐयर चाही सोयम कुल किता 3 रकबा 0.60 है० मुन्दर्जे खाता संख्या नया 263 सालिम जो कि अप्रार्थी संख्या 2 नसरी के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 1864 रकबा 43 ऐयर चाही सोयम, 1865 रकबा 20 ऐयर चाही सोयम, 1866 रकबा 16 ऐयर चाही सोयम किता 3 रकबा 0.79 है० मुन्दर्जे खाता संख्या नया 264 में अप्रार्थी संख्या 2 नसरी के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा वाके ग्राम तुलेडा तहसील व जिला अलवर में प्रार्थी के हिस्से तक बय

सहायक कलक्टर
अलवर

मुन्तकिल नही करने हेतु दिनांक 03.01.2022 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया।

अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जर्ये अधिवक्ता जवाब पेश किया गया।

वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के इन्ग्रीडियेंश 01–प्रथम दृष्टया केस 02– सुविधा का सन्तुलन 03– नापूर्ति होने वाली क्षति का हवाला देकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी को किसी अन्य को जरिये रहन, बैय, हिबा से मुन्तकिल व मकफूल ना करने, कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा ना करने तथा बेदखल ना करने एवं रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का न्यायालय को निवेदन किया।

वकील अप्रार्थीगण ने न्यायालय को निवेदन किया की मुस्लिम विधि के अनुसार वारिसान का जन्म से हक निर्धारित नही होता बल्कि खातेदार की मृत्यु के उपरान्त ही उसके हकूक उत्पन्न होते है उससे पहले नही। अप्रार्थी संख्या–2 नसरी पत्नी दलशेर की स्वयं की पैदाकर्दा आराजी है। (साक्ष्य के रूप में अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से नकल बैयनामा फोटोप्रति दिनांक 30.03.2007 पेश की है।) जिस पर वारिसान का कोई हक नही बनता अप्रार्थी संख्या–2 को किसी भी प्रकार से पाबन्द नही किया जा सकता है। इस कारण प्रार्थी का पेशकर्दा प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के निर्णय करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के इन्ग्रीडियेंश 01–प्रथम दृष्टया केस 02– सुविधा का सन्तुलन 03– नापूर्ति होने वाली क्षति पर विवेचन किया जाना आवश्यक है।

सहायक कलक्टर
अलवर

01– **प्रथम दृष्टया केस**

वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2266, 2267, 2268/3279, 2284, 2285, 2286/3280 व 2287/3281 में प्रतिवादी संख्या–1 दलशेर पुत्र दानसिंह हिस्सा 9/50 जाति मेव साकिन देह खातेदार दर्ज किया हुआ है। उक्त आराजी दादालाई यानि पैतृक आराजी है एवं अप्रार्थी संख्या–2 नसरी पत्नि दलशेर की स्वयं की पैदाकर्दा आराजी खसरा नम्बर 1883, 1886, 1896 कुल किता 3 रकबा 0.60 है० व खसरा नम्बर 1864, 1865, 1866 कुल किता 3 रकबा 0.79 है० है।

उक्त दोनों ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की आराजी को प्रार्थी पैतृक आराजी प्रार्थना पत्र में अंकित कर अपने पिता का उक्त आराजी में 1/5 हिस्सा होना जाहिर करते हुए स्वयं का अपने पिता की आराजी के 1/5 हिस्से में से 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का वाद लेकर आया है एवं अपने स्वयं के हिस्से तक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

विधि की दृष्टि से मुस्लिम लॉ में खातेदार के जीवित रहने तक उसकी आराजी में किसी भी वारिसान का कोई हक जन्म से नही होता। खातेदार की मृत्यु के पश्चात ही प्रार्थी के हकूक उत्पन्न होंगे उससे पहले नही। जहां तक प्रश्न अप्रार्थी संख्या–2 की आराजी का है, वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या–2 की स्वयं की पैदाकर्दा आराजी है जिस आराजी को रहन बैय हिबे द्वारा मुन्तकिल करने का पूर्ण अधिकार है। उक्त आराजी में भी प्रार्थी का कोई हिस्सा बनना नही पाया जाता है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के पिता हारून का ही कोई हिस्सा नही बनना पाया जाता है तो फिर प्रार्थी का हिस्सा कैसे उत्पन्न होगा। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में नही बनना पाया जाता है।

02– **सुविधा का सन्तुलन**

वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या–1 दलशेर पुत्र दानसिंह हिस्सा 9/50 जाति मेव साकिन देह खातेदार दर्ज किया हुआ है। उक्त आराजी दादालाई यानि पैतृक आराजी है एवं अप्रार्थी संख्या–2 नसरी पत्नि दलशेर की स्वयं की पैदाकर्दा आराजी है।

सहायक कलक्टर
अलवर

प्रार्थी प्रार्थना पत्र में, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की आराजी को पैतृक आराजी अंकित कर, उक्त आराजी में अपने पिता का 1/5 हिस्सा होना जाहिर करते हुए, स्वयं का अपने पिता की आराजी के 1/5 हिस्से में से 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का वाद लेकर आया है एवं अपने स्वयं के हिस्से तक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

विधि की दृष्टि से मुस्लिम लॉ में खातेदार के जीवित रहने तक उसकी आराजी में किसी भी वारिसान का कोई हक जन्म से नही होता। खातेदार की मृत्यु के पश्चात ही प्रार्थी के हकूक उत्पन्न होंगे उससे पहले नही। जहां तक प्रश्न अप्रार्थी संख्या–2 की आराजी का है वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या–2 की स्वयं की पैदाकर्दा आराजी है। जिस आराजी को रहन बैय हिबे द्वारा मुन्तकिल करने का पूर्ण अधिकार है।

उक्त आराजी में भी प्रार्थी के पिता का कोई हिस्सा बनना नही पाया जाता है तो प्रार्थी का हिस्सा कैसे उत्पन्न होगा। चूँकि प्रथम दृष्टया केस अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया गया है, सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही बनना पाया जाता है।

03– <u>नापूर्ति होने वाली क्षति</u>

वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की आराजी को पैतृक आराजी संबोधित करके आया है एवं उक्त पैतृक आराजी में अपने पिता का 1/5 हिस्सा व अपने पिता के 1/5 हिस्से में से 1/2 हिस्सा के लिए अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी स्वयं की पैदाकर्दा आराजी है जो उसने जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की है जिस पर वो काबिज है। मुस्लिम लॉ के अनुसार खातेदार की मृत्यु के पश्चात ही उनके वारिसान के हक व हकूक उत्पन्न होते है। जब उक्त आराजी में प्रार्थी के पिता हारून का ही कोई हिस्सा नही है तो फिर प्रार्थी को हारून के 1/5 हिस्से में से 1/2 हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को पाबन्द कराने का कोई अधिकार नही है।

सहायक कलक्टर
अलवर

जब वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के पिता एवं स्वयं प्रार्थी का कोई हिस्सा बनना नही पाया जाता तो प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई हानि होगी तथा ना ही किसी प्रकार की कोई नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी को होगी।

अतः प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के विरूद्ध एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने पर अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03.01.2022 को Vacate कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर संलग्न वाद रहे।

(रेणू मीना)
सहायक कलक्टर
अलवर